प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा मे,

प्रभारी सचिव,
सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन
एवं जनसेवा अनुभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांक 690 /म0नि0नि0/2015–16 देहरादून दिनांक 29 फरवरी, 2016

विषय :– **सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा चिन्हित कर सूचना उपलब्ध कराने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 178/XLIII(1)/15-20(01)/2013 दिनांक 09.02.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बिजनेश रिफार्म एक्शन प्लान, 2016 के बिन्दु संख्या–09 के द्वारा ऐसी सेवायें जो कि सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत समयबद्ध रूप से प्रदान की जा सकती है, के सम्बन्ध में औपचारिक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली के नियमों के आधार पर समयान्तर्गत जनसामान्य को मुख्यतया निम्न प्रकार की सेवाये प्रदान किया जाना प्राविधानित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रमांक (SL No.)	प्रदान की जाने वाली सेवा (Kind Of Services)	सेवा हेतु निर्धारित समय (Time Limit for Services)	नामित अधिकारी (Designated Officer))	प्रथम अपीलीय अधिकारी (First Appellate Authority)	द्वितीय अपीलीय अधिकारी (Second Appellate Authority)
1.	प्रस्तुत विलेखों को निबन्धन हेतु स्वीकार किये जाने पर पंजीकृत किया जाना।	प्रस्तुतीकरण के पश्चात उसी दिन पंजीकरण की कार्यवाही कर निस्तारित किया जाना।	उप निबन्धक	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
2.	पंजीकृत विलेखों को पंजीकरण की कार्यवाही के पश्चात वापस किया जाना।	पंजीकरण की तिथि के पश्चात अगले कार्यदिवस (01दिन) में वापस किया जाना।	उप निबन्धक	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
3.	अनिर्वाय विवाह सम्बन्धी प्रार्थना–पत्रों को रजिस्ट्रीकरण हेतु स्वीकार किया जाना।	प्रस्तुतीकरण के पश्चात उसी दिन पंजीकरण की कार्यवाही कर निस्तारित किया जाना।	उप निबन्धक	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
4.	अनिर्वाय विवाह प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना।	पंजीकरण की तिथि के पश्चात अगले कार्यदिवस (01दिन) में वापस किया जाना।	उप निबन्धक	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
5.	मुआयना (सर्च) सम्बन्धी प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण	प्रत्येक कार्यदिवस में प्रार्थना–पत्र निस्तारित किया जाना।	उप निबन्धक	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन

क्रमशः......02

6.	भारग्रस्त प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना।	रजिस्ट्रेशन मैनुअल के नियम–327 के अनुसार किसी डिक्री धारक को किसी न्यायालय एवं न्यायाधिकरण तथा राजकीय संस्थाओं द्वारा किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में भारग्रस्तता का पता लगाने हेतु निर्धारित शुल्क की धनराशि का भुगतान किये जाने पर रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी द्वारा सात दिन के अन्दर रजिस्ट्रेशन मैनुअल के परिशिष्ट 3 के प्रपत्र 29 के अनुसार प्रमाण–पत्र निर्गत करेगा। तथा नियम–334 के अनुसार बही नं0 3 व 4 के सन्दर्भ में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के प्राप्ति के अगले कार्यदिवस (01 दिन) में प्रमाणक निर्गत किया जायेगा।	उप निबन्धक	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
7.	नकल साधारण के लिये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना।	प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय खुलने के समय से प्रथम 03 घण्टे तक स्वीकार कर निस्तारित किया जाना।	उप निबन्धक	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
8.	नकल साधारण को वापस किया जाना।	प्रार्थना–पत्र के प्रस्तुतीकरण की तिथि से 07 कार्यदिवसों में वापस किया जाना।	उप निबन्धक	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
9.	नकल आवश्यक के लिये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना।	प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय खुलने के समय से प्रथम 04 घण्टे तक स्वीकार कर निस्तारित किया जाना।	उप निबन्धक	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
10.	नकल आवश्यक को वापस किया जाना।	प्रार्थना–पत्र के प्रस्तुतीकरण की तिथि से 03 कार्यदिवसों में वापस किया जाना।	उप निबन्धक	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
11.	नकल अतिआवश्यक के लिये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना।	प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय खुलने के समय से प्रथम 05 घण्टे तक स्वीकार कर निस्तारित किया जाना।	उप निबन्धक	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
12.	नकल अतिआवश्यक को वापस किया जाना।	प्रार्थना–पत्र के प्रस्तुतीकरण की तिथि से अगले कार्यदिवस में वापस किया जाना।	उप निबन्धक	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन

अतः स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जनसमान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली सेवाओं से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप पर आपके उपरोक्त पत्र दिनांक 09.02.2016 के क्रम में उपलब्ध करायी जा रही है।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।